Assistant Professor
Govt. College, Siwana

कुल पेज संख्याः- चार
पेज संख्या :- एक

श्री राजेश्वराय नमः
स्टाम्प रूपये /- सर चार्ज रू.

संपरिर्वतन पट्टा विलेख

यह विलेख आज दिनांक 08.11.2019 को राजस्थान सरकार के जरिये विहित श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (जिन्हे आगे पटटा दार कहेगें और जिस अभिव्यक्ति में जब अथवा सर्दभ में अपवर्जित न हो, पद मे उसका उत्तराधिकारी तथा अनुज्ञप्त सम्मिलित है)

आगे - बहक

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ग्रामीण शिक्षा एवं विकास समिति कुण्डल अध्यक्ष श्री पियूष कुमार पुत्र श्री मोहनलालजी आयु 35 वर्ष जाति भील निवासी ग्राम कुण्डल तहसील सिवाना जिला बाड़मेर (राज0) आधार कार्ड संख्या -927518890383'' पटटेदार '' जिस अभिव्यक्ति में जब तक विषय अथवा सर्दभ में अपवर्जित न हो, पद मे उसका उत्तराधिकारी तथा अभिहस्तांकिसी सम्मिलित है, के मध्य किया गया।

और अंत पटटा दाता उपरोक्त भूमि को निबंधनो और शर्तो पर जो कि एतद पश्चात उल्लिखित हैं,

क्रमशः पेज दो पर..........

ह0/अ0 नि0 पियूष कुमार

अध्यक्ष
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ग्रामीण
शिक्षा एवं विकास समिति कुण्डल

उप पंजियक सिवाना
जिला-बाड़मेर

अध्यक्ष
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ग्रामीण
शिक्षा एवं विकास समिति कुण्डल

राजेश जैन
व्याख्याता, ABST
एम.बी.आर.राजकीय महाविद्यालय
बालोतरा (राज.)

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय, सिवाना
(बाड़मेर)

Scanned by CamScanner

पेज संख्या -दो

-: अनुसूचि :-

संपरिर्वतन भूमि का मांनचित्र

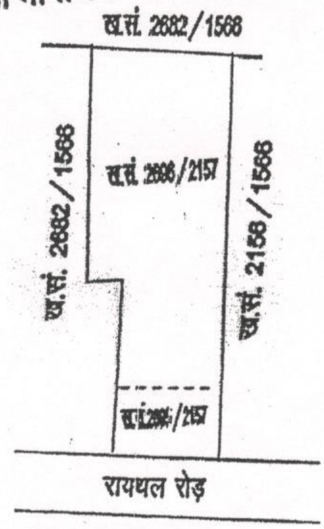

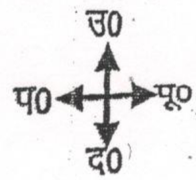

Assistant Professor
Govt. College, Siwana

सम्परिर्वतन आदेश भूमि का विवरण

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ग्रामीण शिक्षा एवं विकास समिति कुण्डल अध्यक्ष श्री पियूष कुमार पुत्र श्री मोहनलालजी जाति भील निवासी ग्राम कुण्डल तहसील सिवाना जिला बाड़मेर (राज0) के नाम से ग्राम मोकलसर के खेत खसरा संख्या 2696/2157 रकबा 00. 8093 हैक्टेयर अर्थात 8093 वर्गमीटर का संस्थागत (शिक्षण संस्थान) प्रयोजनार्थ का आया हुआ है।

क्रमशः पेज तीन पर ....

उप पंजियक सिवाना
जिला-बाड़मेर

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय, सिवाना
(बाड़मेर)

ह0/अ0 नि0 पियूष कुमार

अध्यक्ष
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ग्रामीण
शिक्षा एवं विकास समिति कुण्डल

उप पंजियक सिवाना
जिला-बाड़मेर

अध्यक्ष
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ग्रामीण
शिक्षा एवं विकास समिति कुण्डल

राजेश जैन
व्याख्याता, ABST
एम.बी.आर.राजकीय महाविद्यालय
बालोतरा (राज.)

Scanned by CamScanner

पेज संख्या – तीन

अतः विलेख निम्नानुसार साक्षी हैं :-

उपरोक्त करार कि अनुपालना मे और संपरिर्वतन हेतु प्रिमीयम शुल्क रू. 05/- प्रतिवर्गमीटर या डीएलसी दर के रूप मे प्रतिफल स्वरूप इस विलेख में निष्पादित से पूर्व सदत्त प्रिमीयम शुल्क 05/- प्रति वर्गमीटर के आधार पर राशि जीआरएन नम्बर 0014296152 राशि 40470 जिसकी प्राप्ती पटटेदार अभिस्वीकृत करता हैं और राजस्थान भू-राजस्व ग्रामीण क्षेत्र में कृर्षि भूमि का अकृर्षि प्रयोजन संपरिर्वतन नियम 2007 (संशोधन 2012 के तहत बहैसीयत प्राधिकृत अधिकारी श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, सिवाना द्वारा जरिये आदेश राजस्व/2019/402 से 406 दिनांक 16.10.2019 को खेत खसरा संख्या 2696/2157 रकबा 00.8093 हैक्टेयर अर्थात 8093 वर्गमीटर का संस्थागत (शिक्षण संस्थान) प्रयोजनार्थ पटटा जारी किया जाता है।

Assistant Professor
Govt. College, Siwana

संपरिर्वतन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन किया जावेगा :-

1. यह है कि पटटा धारी बिना विहित प्राधिकारी कि अनुमति के उक्त भूमि का संपरिर्वतन प्रयोजन से भिन्न अन्य किसी प्रयोजन हेतु काम नही लिया जा सकेगा।
2. यदि पटटा धारी पांच वर्ष की अवधि के भीतर संपरिर्वतत प्रयोजन हेतु भूमि को काम में लेने मे असफल रहता है, तो उक्त संपरिर्वतन कि अनुमति वापस ले ली जावेगी, तथा प्रीमीयम राशि जब्त कर ली जावेगी।
3. नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अन्य अकृषित प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।
4. संस्थागत प्रयोजन के लिए संपरिर्वतन भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग व उपभोग या हस्तानान्तरण विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
5. प्रार्थी को प्रस्तावित संपरिर्वतन भूमि में अवस्थित कुल शुन्य पेड़ो को संपरिर्वतन भूमि से इस शर्त पर हटाने कि अनुज्ञा दी जाती है कि प्रार्थी हटाये गये पेड़ो के बदले एक वर्ष में तीन गुणा छायादार एवं घने पेड़ लगायेगा, इसमें असफल रहने पर प्रतिवर्ष 500 रू. की शास्ति जब तक पेड़ नही लगाये जाते राजस्व मद में जमा कराने होगे।

उप पंजियक सिवाना जिला-बाड़मेर

क्रमशः पेज चार पर ...

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय, सिवाना
(बाड़मेर)

ह0/अ0 नि0 पियूष कुमार

उप पंजियक सिवाना
जिला-बाड़मेर

अध्यक्ष
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ग्रामीण
शिक्षा एवं विकास समिति, कुण्डल

अध्यक्ष
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ग्रामीण
शिक्षा एवं विकास समिति, कुण्डल

राजेश जैन
व्याख्याता, ABST
एम.बी.आर. राजकीय महाविद्यालय
बालोतरा (राज.)

Scanned by CamScanner

पेज संख्या चार

6. प्रस्तावित भूमि सिवाना – महिलावास से रायथल जाने वाली सड़क पर स्थित राष्ट्रीय सड़क कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सड़क के मध्य बिन्दु से 99 फीट छौड़कर संपरिर्वतन किया जाता है।
7. नियम 19 वी के अनुसार आवेदक प्रारूप जी अनुसार बिल्डिंग प्लान एवं बिल्डिंग प्लान नियम 9 के अनुसार गठित कमेटी से नियमानुसार अनुमोदित करने के पश्चात निमार्ण कार्य प्रारम्भ करेगा। आवेदक ले आउट प्लान एवं बिल्डिंग प्लान हेतु नियम 19 बी फार्म जी मं निर्धारित नियमों व शर्तो की पालना सुनिश्चित करने हेतु बाध्य होगा।
8. आवेदक को शैक्षिक संस्थागत स्थापित करने से पूर्व समय समय से पूर्व नियमानुसार प्रदुषण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। तथा संपरिर्वतन भूमि में केवल अप्रदुषक उद्योग स्थापित करने की अनुममि होगी।
9. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशो की पालना हेतु आवेदक बाध्य होगा।
10. उपरोक्त सभी शर्तो की पालना आवेदक द्वारा की जावेगी, किसी भी शर्त के उल्लघंन की दशा में नियमानुसार शास्ति आरोपित की जा सकेगी, जिसके लिए आवेदक व्यक्तिगत रूप से स्वयं जिम्मेदार होगा।
11. संपरिर्वतन आदेश में नक्शा ब्ल्यू प्रिंन्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

इति दिनांक : – 08.11.2019

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय, सिवाना
(बाड़मेर)

पटटे दार :- अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा

ह0/अ0 नि0 पियूष कुमार

Assistant Professor
Govt. College, Siwana

साक्षीगण :-

1. श्री ....चिमनाराम.... पुत्र ....कुम्भाराम.... जाति ....चौधरी.... निवासी ....सिवाना....।

आधार कार्ड संख्या

2. श्री ....पोकरराम.... पुत्र ....हेमाराम.... जाति ....प्रजापत.... निवासी ....सणपा....।

आधार कार्ड संख्या

302234072390

उप पंजियक सिवाना
जिला-बाडमेर

अध्यक्ष
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ग्रामीण
शिक्षा एवं विकास समिति कुण्डल

राजेश जैन
व्याख्याता, ABST
एम.बी.आर.राजकीय महाविद्यालय
बालोतरा (राज.)

अध्यक्ष
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ग्रामीण
शिक्षा एवं विकास समिति कुण्डल

Scanned by CamScanner